RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	PGCIL/R/E/20/00462	**Date of Receipt :**	03/11/2020
Type of Receipt :	Online Receipt	**Language of Request :**	English
Name :	ASHOK KUMAR	**Gender :**	Male
Address :	Flat No.A-33First Floor,Parshvnath City, Faizabad Road Lucknow, Pin:226028		
State :	Details not provided	**Country :**	India
Phone No. :	+91-8299500936	**Mobile No. :**	+91-6392801067
Email :	ashokpoonam15119@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Urban	**Education Status :**	Graduate
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10)	**Mode of Payment**	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	**Request Pertains to :**	
Information Sought :	Please find the attachment and give the reply.		

Print Save Close

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन

सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी
पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

विषय: सूचना अधिकार के तहत आवेदन (RTI) Act-2005 के अंतर्गत पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबधित सूचनाये प्राप्त करने के सम्बन्ध में |

1. पॉवरग्रिड पानीपत कार्यालय के अंतर्गत निर्माणधीन 800 के० वी० चाम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन निर्माण में मुज़फ्फरनगर,करनाल जिलो में तार खीचने में बर्बाद हुई फसल की एवज में किसानो दिए मुआवजे के नोटिसो को राजस्व विभाग से क्यों सत्यापित नहीं कराया गया है ?
2. वर्ष 2015 में राधेश्याम यादव,कर्मचारी संख्या-00343,तकनीशियन व् मेरा {अशोक कुमार,कर्मचारी संख्या-11233,कनिष्ठ अभियंता} का स्थानान्तरण पानीपत से शक्तिनगर किस कारण किया गया था ? क्या वर्ष 2015 में शक्तिनगर कार्यालय ने 01 कनिष्ठ अभियन्ता व् 01 तकनीशियन की शक्तिनगर में तैनाती की आवश्यकता हेतु सक्षम प्राधिकारी को कोई प्रस्ताव प्रेषित किया था ? कृपया प्रमाण दे ?
3. क्या पॉवर ग्रिड पानीपत कार्यालय के अंतर्गत निर्माणधीन 800 के० वी० चाम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन में विजिलेंस जाँच में पानीपत प्रभारी आरोपी नहीं थे ?
4. मुझे दी गई चार्ज शीट संदर्भ संख्या-ऊ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 से बध्ध (related) सूचीबद्ध दस्तावेज (listed document) संख्या D-13,14,15,16,17 जोकि जाँच के महत्वपूर्ण दस्तावेज है | उन सभी पर पानीपत प्रभारी के हस्ताक्षर किस आधार पर कराये गए हैं ? उक्त दस्तावेजो पर केवल दो {एक जाँच अधिकारी व् पानीपत प्रभारी} के ही हस्ताक्षर है | क्या जाँच के दौरान किसानो से बयान लेने के लिए पानीपत प्रभारी को भी विजिलेंस ने अधिकृत किया था ?
5. सूचीबद्ध दस्तावेजो/बयानों (listed document) संख्या D-13,14,15,16,17 में जाँच अधिकारी ने दिनांक 08.09.2017 को ही हस्ताक्षर किया है | चाहे किसान ने अलग दिन {दिनांक 07.09.2017} में ही बयान क्यों न दिया हो | जिससे यह प्रतीत होता है कि सभी बयान पानीपत प्रभारी ने ही लिए है | जाँच अधिकारी की उपस्थिति में नहीं हुए है | Listed document D-15 बयान पर जाँच अधिकारी ने दूसरे दिन {08.09.2017} को क्यों हस्ताक्षर किये है ? जबकि किसान ने बयान दिनांक 07.09.2017 को रिकॉर्ड किया है |
6. क्या पॉवरग्रिड विजिलेंस में ऐसा कोई प्रावधान है कि विजिलेंस अधिकारी सिर्फ शिकायत लेने के लिए किसान के घर जाये ? जबकि उस किसान ने इससे पहले किसी भी प्रकार की सुचना विजलेंस में नहीं की है | और न ही घर पर शिकायत लेने के लिए कभी विजिलेंस को आमंत्रित किया है | सूचीबद्ध दस्तावेज(Listed Document) D-22 दिनांक 13.04.2018 जो कि एक संयुक्त शिकायत है | जिसको विजिलेंस अधिकारी ने पानीपत प्रभारी के साथ शिकायतकर्ता के घर से प्राप्त किया है | दिनांक 13.04.2018 की शिकायत के अलावा जाँच अधिकारी ने उस दिन किसी अन्य किसान से कोई भी अन्य बयान नहीं लिया है | कृपया विवरण दे ?
7. मुझे दी गई चार्ज शीट संदर्भ संख्या-ऊ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 से बध्ध (related) सूचीबद्ध दस्तावेज (listed document) संख्या D-25 जो कि एक साईट संयुक्त निरिक्षण रिपोर्ट है | इस रिपोर्ट के बिंदु 23 स्पष्ट रूप में अंकित किया गया है कि किसान सुरेन्द्र पुत्र बुध्ध सिंह खेत मालिक है और इसकी जमींन लाइन कोरिडोर में भी है | इसके दस्तावेज भी लगे है | फिर मेरी चार्ज शीट संदर्भ संख्या-ऊ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 में इस किसान के फसल भुगतान को किस आधार पर गलत बताया है ?
8. मुझे दी गई चार्ज शीट संदर्भ संख्या-ऊ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 से बध्ध (related) सूचीबद्ध दस्तावेज (listed document) संख्या D-4&5 के संदर्भ संख्या-652 DT.04.04.2018 के बिंदु 7 व् 8 पर तहसीलदार बुढाना ने यह सत्यापित किया है कि विजयपाल पुत्र किशन और लतीफ़ पुत्र नूरा की जमींन शिकारपुर गाँव में है आदमपुर गाँव में नहीं है | इन दोनों किसानो के नोटिस भी शिकारपुर गाँव के नाम पर ही काटे गए है | listed document D-24 में भी जाँच अधिकारी ने इन दोनों किसानो की खेत को कोरिडोर के नीचे होना सत्यापित किया है | फिर चार्ज शीट में इन दोनों किसानो के भुगतान को किस आधार पर गलत बताया है |

03/11/2020

9. मुझे दी गई चार्जशीट, संदर्भ संख्या-ऊ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 से बध्ध (related) सूचीबद्ध दस्तावेज (listed document) D-23& 24 के आधार पर चार्जशीट के Annexure-II के Article-1 के बिंदु 3,4, और 5 में किस आधार पर मुझे दोषी ठहराते हुए चार्जशीट में दिए 12 किसानो के खेतो को लाइन कोरिडोर से बाहर बताया गया है| Listed document D-23& 24 सम्बंधित राजस्व विभाग से सत्यापित क्यों नहीं है ? किस आधार पर पानीपत प्रभारी व् जाँच अधिकारी ने पारेषण लाइन के कोरिडोर में पड़ने वाले खेतो का सत्यापन किया है ?

10. मुझे दी गई चार्जशीट, संदर्भ संख्या-ऊ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 में दिए 12 किसानो के खेतो में लाइन के तार खीचने के दौरान वर्ष 2015 में नुकसान हुआ था | वर्ष 2015 में ही इनके मुआवजे हेतु नोटिस काटे गए | तार खीचने में केवल फसल बर्बाद होती है खेत में किसी प्रकार का कोई स्थाई नुकसान नहीं होता है | किसान एक वर्ष में २ या 3 फसल ले लेता है | फिर 3 वर्ष बाद वर्ष 2017 व् 2018 में फसल नुकसान होने की जाँच किस आधार पर की गई है ?

11. मुझे दी गई चार्ज शीट संदर्भ संख्या-ऊ.क्षे.-3/Rihand/2019/Confidential/1194 दिनांक 23.07.2019 एवं इससे बध्ध (related) सूचीबद्ध दस्तावेजो में बार-बार मुझे किसान का खेत बटाई पर दिखा कर गलत भुगतान का करने का आरोप लगाया है | कृपया प्रमाण दे मैंने ऐसा कौन सा दस्तावेज जारी किया है जिसमे मैंने खेत बटाई पर होने का प्रमाण दिया हो ?

12. पॉवरग्रिड की 400 के वी मेरठ-मोगा व् 400 के वी बल्लभगढ़-भिवाड़ी लिलो लाइन में किसानो को कार्यपालक अप्रूवल संख्या -ऊ.क्षे.1/जी.आई.एस.गु./पा.प./09 दिनांक 06.11.2009 के तहत क्यों भुगतान किया गया ?

भवदीय

03/11/2020

अशोक कुमार

पता:-फ्लैट संख्या-अ-33 फर्स्ट फ्लोर,पार्श्वनाथ सिटी फैजाबाद रोड,लखनऊ,पिन-226028

सम्पर्क :-8299500936